निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 453) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

3 मार्च 2015

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–11/2011/562—श्री दिनेश राय, सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर के पदस्थापन अवधि में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2010 के पूर्व उक्त प्रमंडलाधीन एजेण्डा सं0 101/406, 101/408 एवं 101/409–410 के तहत कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त एजेण्डा सं0 101/406 एवं 101/409–410 के तहत कराये गये परक्यूपाईन लेईंग कार्यों में निर्धारित साईज के Nut bolt की जगह लोहे के तार का उपयोग कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के कारण सम्पादित कार्य क्षतिग्रस्त होने एवं सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने के लिए श्री दिनेश राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए विभागीय पत्रांक 768 दिनांक 11.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त परक्यूपाईन लेईंग कार्य में निर्धारित साईज के Nut bolt की जगह लोहे के तार का उपयोग कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय को विभागीय अधिसूचना सं0 551 दिनांक 09.05.13 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्क प्रभाव से रोक।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री दिनेश राय, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्य तथ्य निम्न है :–

1. सेवानिवृत मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित अनुवीक्षण दल द्वारा कार्य निर्माणाधीन अवधि में दो बार एवं निर्माणोपरान्त दिनांक 16.06.2010 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद एवं ठीक–ठाक पाया गया है।

2. कार्य के दौरान मुख्य अभियंता एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था परन्तु कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 722 दिनांक 08.03.11 से कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के साथ कराये जाने को सम्पुष्ट किया है। पत्र की प्रति संलग्न की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नट बोल्ट लगाकर विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण परक्यूपाईन लेईंग का कार्य कराया गया था।

3. कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर तीनों स्टेज की फोटोग्राफी कराने का कोई स्पष्ट निदेश नहीं था।

4. जहॉ तक एफ0 आई0 आर0 या सन्हा दर्ज नहीं कराये जाने का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेख है कि तटबंध पर नियमित/मौसमी एक भी चौकीदार की बहाली नहीं है। जिस कारण असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा चोरी किये जाने की स्थिति में ससमय नामजद प्राथमिकी दर्ज करना संभव नहीं होता है।

5. मात्र कुछेक परक्यूपाईन से नट बोल्ट निकाला गया था, जिसे तार से बांधा गया। उड़नदस्ता द्वारा स्पष्ट नहीं बताया गया कि कुल कितने परक्यूपाईन सेट थे एवं कितने में नट बोल्ट नहीं थे। एक स्वीपिंग रिमार्क्स दिया गया कि अधिकांश में नट बोल्ट के स्थान पर लेग्स में तार बॉधे थे। बल्कि अप्रील, 2011 में कुछ परक्यूपाईन का नट बोल्ट असामाजिक तत्वों द्वारा निकाल लिया गया था उसे तत्काल तार से बॉध दिया गया था।

श्री राय से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि पुनर्विलोकन अर्जी में वही तथ्य एवं साक्ष्य दिया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में श्री राय द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त कोई नया तथ्य उद्धृत नहीं किया गया है। पूर्व की समीक्षा में असामाजिक तत्वों द्वारा परक्यूपाईन लेईंग में लगे नट बोल्ट को खोल लिए जाने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा एफ0 आई0 आर0 अथवा सन्हा दर्ज नहीं करने तथा कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य सम्पादन अवधि में तथा कार्य समाप्ति के उपरांत कुल तीन स्टेज का स्पष्ट फोटोग्राफ्स उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर परक्यूपाईन लेईंग कार्य में नट बोल्ट के स्थान पर तार बांध कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है। पुनर्विलोकन अर्जी के साथ उपरोक्त दोनों बिन्दुओं संदर्भित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे परिलक्षित हो सके कि असामाजिक तत्वों द्वारा यह नट बोल्ट खोलकर चोरी की गयी हो।

अतः श्री राय द्वारा समर्पित साक्ष्यविहीन पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में प्रमाणित आरोपों के लिए संसूचित दण्ड ''दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

इस प्रकार सरकार द्वारा श्री दिनेश राय, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर से पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया गया है तथा पूर्व के संसूचित दण्ड ''दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' को यथावत रखा गया है।

यह उक्त श्री दिनेश राय, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 453-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in